राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1144/2025

डॉ. योगेश्वर कृष्ण पंण्डित

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. श्री राजप्रताप सिंह राठौड़, पिचोलिया, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सौरभ तिवाड़ी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, कैवियटर

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की तरफ से संशोधित अपील प्रस्तुत कर उसे रिकॉर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना। संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में अपीलार्थी चिकित्सा अधिकरी (कानूनी चिकित्स) के पद पर अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर में पदस्थ है। नियुक्ति की तिथि से ही अपीलार्थी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ किया है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारम्भ में दिनांक 30.10.2015 को हुई थी तथा उसे राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भीम, राजसमंद में पदस्थापित किया गया था, तत्पश्चात उसका विभिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण होता रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.01.2025 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत अपीलार्थी को कानूनी चिकित्सक, अधिकारी अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर

से लगभग 115 किलोमीटर दूर राजकीय आयुर्वेद औषधालय बेरीबांध जयपुर 'ए' में स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 214 पर है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, पिचोलिया, जिला अजमेर से अपीलार्थी के स्थान पर कनूनी चिकित्सक, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर के चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम क्रम संख्या 213 पर है। (अनुलग्नक–1) राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश दिनांक 04.01.2023 में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक लगाई गई है तथा ऐसे स्थानान्तरण नहीं करने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, तत्पश्चात शासन सचिव द्वारा दिनांक 30.12.2024 को आदेश जारी किया गया जिसके तहत स्थानान्तरण पर रोक 1 जनवरी 2025 से हटाकर 10 जनवरी 2025 कर दी गई थी। तत्पश्चात शासन सचिव द्वारा दिनांक 10.01.2025 को आदेश जारी कर इस अवधि को 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद भी प्रतिवादी विभाग ने प्रतिबंध की अवधि के दौरान दिनांक 16.01.2025 को स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी सचिव हैं तथा उपरोक्त स्थानांतरण आदेश आयुर्वेद विभाग के निदेशक द्वारा जारी किया गया है, जो अपीलार्थी को स्थानांतरित करने में अक्षम हैं। उक्त आदेश दिनांक 16.01.2025 को जारी किया गया है तत्पश्चात उक्त आदेश को संशोधित करने के लिए उप सचिव द्वारा दिनांक 15.01.2025 को बैक डेट में एक संशोधित आदेश भी जारी किया गया है। अपीलार्थी के पिता 80 वर्ष की आयु में सीओपीडी अस्थमा की समस्या से पीड़ित हैं और उनकी माँ भी तपेदिक (टीबी) से पीड़ित हैं और दोनों नियमित चिकित्सा देखभाल और देखरेख में हैं। अपीलार्थी के स्थानान्तरण से अपीलार्थी के परिवार परेशानियों का समाना करना पड़ेगा।अपीलार्थी को आज दिनांक तक कोई रिलीविंग आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 16.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर (विधिक) चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियमित वेतन और भत्ते सहित कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 15.01.2025 स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है, जो सक्षम स्तर से जारी किया गया है। उस आदेश को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत जारी किया गया है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 16.01.2025 को चुनौती दी है। जिसको निदेशक आयुर्वेदिक विभाग द्वारा जारी किया गया है। जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बेरीबांध, जयपुर 'अ' में चिकित्सा अधिकारी के पद पर किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलौच्य आदेश प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी 2025 तक स्थानान्तरणों में छुट प्रदान की गई थी। उनका यह भी कथन है कि आलौच्य आदेश अक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी के नियोक्ता अधिकारी राज्य सरकार है और अब आलौच्य आदेश निदेशक स्तर से जारी किया गया है। उनका यह भी कथन है आलौच्य आदेश में उनका नाम सही अंकित नहीं है।

अपीलार्थी की तरफ से अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ दिनांक 15.01.2025 को शासन उप सचिव आयुर्वेद विभाग द्वारा जारी आदेश प्रस्तुत किया है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश को संलग्न किया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.01.2025 को जारी आदेश में क्रम संख्या 222 पर अपीलार्थी डॉ योगेश्वर कृष्ण पंडित का नाम अंकित है। अपीलार्थी का यह कथन है कि यह आदेश वेबसाईट पर अपलोड नहीं हुआ है। इसलिए उस आदेश को अपील में चुनौती नहीं दी गई है। जबकि यही आदेश अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। हम यह पाते है कि के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती नहीं दी गई है, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण में छुट अवधि में जारी किया गया है। इस आलौच्य आदेश में कोई त्रुटि या दुर्भावना परीलक्षित नहीं होती है। अतः हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते है।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य